छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

बुधवार, दिनांक 4 फरवरी, 2009

(माघ - 15, शक संवत् 1930)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 10 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिये गए।

प्रश्नोत्तर सूची में अतारांकित प्रश्नों के रूप में 8 प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 08 पर चर्चा के दौरान श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2008-2009 पटल पर रखा गया।

4. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य ने सिकासेर डेम से पानी छोड़े जाने से किसानों की फसल नष्ट होने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

श्री हेमचंद यादव, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने प्रदेश में बारदाना की कमी से धान खरीदी बंद होने से उत्पन्न स्थिति की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री पुन्नूलाल मोहले, खाद्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य ने राजस्व विभाग के तहसीलदारों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग किये जाने,

(2) श्री नंदकुमार पटेल, सदस्य ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में परिचय के नाम पर रेगिंग से छात्रों में दहशत होने,

(3) श्री लेखराम साहू, सदस्य ने कुरुद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगौद में हर्बल पार्क स्थापित करने के लिए किसानों की भूमि को अधिगृहीत किये जाने, तथा

(4) श्रीमती सरोजा मनहरण राठौर, सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सक्ती में डॉक्टरों की कमी होने, संबंधी शून्यकाल की सूचना पढ़ी।

6. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक-26, लोरमी के सदस्यश्री धर्मजीत सिंह की ओर से विधान सभा नियमावली के नियम 277 (1) के अधीन आवेदन प्राप्त हुआ है । उन्होंने जनवरी-फरवरी, 2009 सत्र में दिनांक 2 फरवरी, 2009 से सत्र की समाप्ति तक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा चाही है।

(सदन द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई।)

7. वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान

माननीय अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि -अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परंपरानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती हैं और उन पर एक साथ चर्चा होती है। अतः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वे सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत कर दें।

(सदन द्वारा सहमति दी गई।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि :-

दिनांक 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 53, 55, 56, 64,

66, 67, 68, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर एक हजार एक सौ सैंतालीस करोड़, पचासी लाख, अड़सठ हजार, एक सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया -
डॉ.शक्राजीत नायक (जारी)

8. वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

सर्वश्री (डॉ.) शक्राजीत नायक, देवजी भाई पटेल

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से श्री देवजी भाई पटेल, सदस्य का भाषण पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

(1.37 से 3.00 तक अंतराल)

(3.00 बजे अध्यक्ष महोदय (श्री धरम लाल कौशिक) पीठासीन हुए।)

डॉ.हरिदास भारद्वाज ।

9. वक्तव्य
बक व्हीट (टाऊ) फसल पर जानकारी के संबंध में कृषि मंत्री का वक्तव्य

श्री चंद्रशेखर साहू, कृषि मंत्री ने बक व्हीट (टाऊ) फसल पर जानकारी के संबंध में वक्तव्य दिया।

श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की।

10. वर्ष 2008-2009 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान (क्रमशः)

सुश्री सरोज पाण्डेय, सर्वश्री लखमा कवासी, (डॉ.) सुभाऊ कश्यप, परेश बागबाहरा, संतोष बाफना, लेखराम साहू, दीपक पटेल, श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर, सर्वश्री रविशंकर त्रिपाठी, गुरू रुद्र कुमार, विरेन्द्र कुमार साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, सर्वश्री सौरभ सिंह, रामजी भारती एवं श्री रविन्द्र चौबे, नेता प्रतिपक्ष।

(माननीय अध्यक्ष ने सदन की सहमति से अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं विनियोग विधेयक (क्रमांक-1) के पारित होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2009 (क्रमांक-1 सन् 2009)

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2009 (क्रमांक-1 सन् 2009) का पुरःस्थापन किया तथा प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2009 पर विचार किया जाय ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खंण्डशः विचार हुआ ।

खंड 2, 3 व अनुसूची विधेयक का अंग बने ।
खंड 1 विधेयक का अंग बना ।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक का अंग बने ।

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-1) विधेयक, 2009 पारित किया जाय ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
विधेयक पारित हुआ ।

सायं 6.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 9 फरवरी, 2009 (माघ 20, शक संवत् 1930) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा